



आगरा विकास प्राधिकरण,  
जयपुर हाउस आगरा

शास्त्रीपुरम, कालिन्दी विहार, शाहगंज योजना (फ्रेण्डस कॉलोनी) व केदार नगर योजना में  
विभिन्न श्रेणी के भूखण्ड/भवन प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

पंजीकरण दिनांक 17.11.2017 से दिनांक 20.12.2017 तक

क्र० सं०	योजना	फेस/सेक्टर	सम्पत्ति श्रेणी	कुल सं०	भूखण्ड/भवन का मानक क्षेत्रफल (व.मी.)	प्रति सम्पत्ति अनुमानित मूल्य (रु० में)	10% पंजीकरण धनराशि (आवेदन के साथ) (रु० में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	शास्त्रीपुरम योजना	ई	एच.आई.जी. (भूखण्ड)	1	162.00	1960200.00	196020.00
2	कालिन्दी विहार योजना	ए	एच.आई.जी. (भूखण्ड)	1	117.75	1424775.00	142478.00
3	कालिन्दी विहार योजना	सी	एच.आई.जी. (भूखण्ड)	1	361.95	4379595.00	437960.00
4	कालिन्दी विहार योजना	सी-1	एच.आई.जी. (भूखण्ड)	1	202.50	2450250.00	245025.00
5	कालिन्दी विहार योजना	सी-1	एच.आई.जी. (भूखण्ड)	1	317.01	3835821.00	383582.00
6	कालिन्दी विहार योजना	डी	एम.आई.जी. (अर्द्धनिर्मित भवन)	1	120.40	2816400.00	281640.00
7	कालिन्दी विहार योजना	डी	एम.एम.आई.जी. (अर्द्धनिर्मित भवन)	1	100.33	2127900.00	212790.00
8	कालिन्दी विहार योजना	डी	एम.एम.आई.जी. (अर्द्धनिर्मित भवन)	1	100.33	2138700.00	213870.00
9	कालिन्दी विहार योजना(भूतल)	सी	ई.डब्ल्यू.एस. (भवन)	6	15.04	338400.00	33840.00
10	कालिन्दी विहार योजना(प्रथम तल)	सी	ई.डब्ल्यू.एस. (भवन)	10	15.04	293700.00	29370.00
11	कालिन्दी विहार योजना(भूतल)	सी	ई.डब्ल्यू.एस. (भवन)	18	22.92	985615.00	98562.00
12	कालिन्दी विहार योजना(प्रथम तल)	सी	ई.डब्ल्यू.एस. (भवन)	18	22.92	831350.00	83135.00
13	कालिन्दी विहार योजना(द्वितीय तल)	सी	ई.डब्ल्यू.एस. (भवन)	18	22.92	831350.00	83135.00
14	कालिन्दी विहार योजना(तृतीय तल)	सी	ई.डब्ल्यू.एस. (भवन)	18	22.92	831350.00	83135.00
15	कालिन्दी विहार योजना(भूतल)	सी	एल.आई.जी. (भवन)	8	45.63	1756800.00	175680.00
16	कालिन्दी विहार योजना(प्रथम तल)	सी	एल.आई.जी. (भवन)	8	45.63	1463900.00	146390.00
17	कालिन्दी विहार योजना(द्वितीय तल)	सी	एल.आई.जी. (भवन)	8	45.63	1463900.00	146390.00
18	कालिन्दी विहार योजना(तृतीय तल)	सी	एल.आई.जी. (भवन)	8	45.63	1463900.00	146390.00
19	शाहगंज योजना (फ्रेण्डस कॉलोनी)	द्वितीय तल	एल.आई.जी. (भवन)	1	42.00	1109300.00	110930.00
20	शाहगंज योजना (फ्रेण्डस कॉलोनी)	तृतीय तल	एल.आई.जी. (भवन)	1	42.00	1109300.00	110930.00
21	केदार नगर योजना	-	ई.डब्ल्यू.एस. (भूखण्ड)	1	34.54	587180.00	58718.00
22	केदार नगर योजना	-	ई.डब्ल्यू.एस. (भूखण्ड)	1	30.31	515270.00	51527.00

**प्रमुख शर्तें :-**

- आवंटन के नियम व शर्तें पंजीकरण पुस्तिका में एवं भुगतान विवरण पंजीकरण पुस्तिका के साथ संलग्न है।
- पंजीकरण पुस्तिका प्राधिकरण कार्यालय, जयपुर हाउस आगरा स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा से रु० 525/- नकद जमा कराकर दिनांक ..... से प्राप्त की जा सकती है।
- किसी भी सम्पत्ति श्रेणी में विशिष्ट सम्पत्ति के लिये आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- सम्पत्ति का आवंटन जैसा है, जहाँ है के आधार पर किया जायेगा।
- पंजीकरण फार्म निर्धारित अन्तिम दिनांक..... तक कॉलम-8 में अंकित पंजीकरण शुल्क (डिमान्ड ड्राफ्ट अथवा कैश) के साथ प्राधिकरण स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की शाखा में जमा कराना होगा।
- सम्पत्ति आवंटन पर 25 प्रतिशत आवंटन धनराशि (पंजीकरण धनराशि को समायोजित करते हुए) 10 प्रतिशत पट्टा किराया अथवा सम्पत्ति मूल्य का 12 प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क अतिरिक्त माँग पत्र के अनुसार निर्धारित समयावधि में देय होगी।
- आरक्षित श्रेणी में आने वाले आवेदक भूखण्ड/भवन के पंजीकरण हेतु 10 प्रतिशत धनराशि के स्थान पर 5 प्रतिशत धनराशि जमा करा सकते हैं। आरक्षित श्रेणी के आवेदक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि आरक्षित आवेदक दूसरे प्रान्त का है और वह उत्तर प्रदेश की आरक्षित श्रेणी में नहीं आता है तो आवेदक का पंजीकरण सामान्य श्रेणी में माना जायेगा और इस हेतु 10 प्रतिशत पंजीकरण धनराशि जमा करानी अनिवार्य होगी।
- सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।
- आवेदन पत्र अपूर्ण होने की दशा में निरस्त कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी हेतु आय सीमा रु० 3,00,000/- व एल.आई.जी. हेतु रु० 6,00,000/- वार्षिक आय अनुमन्य है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- पंजीकरण धनराशि जमा कराये जाने हेतु आगरा विकास प्राधिकरण की वेबसाईट [www.adaagra.in](http://www.adaagra.in) पर जाकर ई-चालान प्राप्त कर उसे प्राधिकरण स्थित यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया में जमा कराने होंगे।
- आवेदन पत्र में ई-मेल आई.डी. एवं मोबाईल नम्बर दिया जाना आवश्यक है। चूँकि आवंटन के पश्चात् समय-समय पर बकाया आदि से सम्बन्धित वांछित सूचनायें आवंटी को ई-मेल पर एवं एस.एम.एस. अलर्ट के माध्यम से मोबाईल पर उपलब्ध करायी जायेंगी। तत्पश्चात् इसी आधार पर बकायेदारों की आवंटित सम्पत्ति के आवंटन को बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार उपाध्यक्ष आगरा विकास प्राधिकरण को सुरक्षित होगा, जिस पर कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

उक्त शर्तों का अवलोकन प्राधिकरण की वेबसाईट [www.adaagra.in](http://www.adaagra.in) पर भी किया जा सकता है। पंजीकरण के सम्बन्ध में जानकारी किसी भी कार्यशील दिवस में सम्पत्ति अनुभाग कक्ष सं० 34 से प्राप्त की जा सकती है।